UPME010047452023

न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष सत्र न्यायाधीश भ्र०निवा०(V.B.U.P.S.E.B) मेरठ।

सी.सी. नं०- 13/561/2023

सरकार बनाम सुभाष चन्द्र शर्मा ।

मु०अ०स०- 55 सन 2023
अ०धारा धारा 7 भ्र०नि० अधि 1988
थाना- कविनगर, गाजियाबाद।

21.03.2025

1. पत्रावली अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किये गये उन्मोचन प्रार्थना पत्र 50ख पर आदेश के लिए नियत है। पूर्व दिनांक पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

2. अभियुक्त की ओर से अपने प्रार्थना पत्र 50ख में उन्मोचन के संबंध में इन आधारो का उल्लेख किया गया है कि उसको इस अपराध में शिकायतकर्ता राहुल कुमार गुप्ता ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन मेरठ इकाई की टीम से मिलकर झूठा फंसाया गया है। वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। विगत 25–1/2 वर्षों से ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उ०प्र० में अवर अभियन्ता के पद पर नियुक्त है। उसके विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही या काई अपराधिक कार्यवाही का आरोप नही है। उसके द्वारा हमेशा अपनी मेहनत व ईमानदारी से अपने शासकीय दायित्व का निर्वहन किया गया है। शिकायतकर्ता राहुल कुमार गुप्ता का कोई कार्य उसके पास या ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में विचाराधीन नही था। चूंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के अनुसार फर्म श्री गणेश सीमेन्ट एजेन्सी 11–ए, लक्ष्मी विहार मोदीपुरम मेरठ के प्रो० अनुज कुमार गुप्ता है तथा अनुज कुमार गुप्ता द्वारा शिकायतकर्ता राहुल गुप्ता को उक्त फर्म की ओर से कार्य करने का या देख रेख करने का कोई मुख्तारेआम नियुक्त नहीं कर रखा है, न ही ऐसा कोई मुख्तारनामा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में दिनांक 19.01.2023 तक दाखिल है। इस कारण मुख्तारेआम होने की कहानी झूठी व बनावटी है। अनुज कुमार गुप्ता की फर्म द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड गाजियाबाद में अनुबन्ध के आधार पर ग्राम शाहपुर बमहैटा श्री राम एन्क्लेव में इन्टरलॉकिंग टाइल्स कार्य व नाली निर्माण कार्य किया था।

Digitally signed by PRAHALAD SINGH
Date: 2025.03.21 16:52:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जिसका भुगतान अप्रैल 2022 तक के लिये कार्य के अनुसार उ०प्र० शासन से प्राप्त बजट के अनुसार अंकन 14,00,000/– रूपये दिनांक 31.05.2022 को कर दिया गया था जबकि किये गये कार्य का शेष भुगतान उ०प्र० शासन से धनराशि प्राप्त न होने की स्थिति में नही हो पाया था। उसके द्वारा शिकायतकर्ता के भाई की फर्म द्वारा किये गये कार्य की नाप तोल करके एम०बी० बुक में दर्ज करते हुए अपनी आख्या पूर्व में ही अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित कर दी गयी थी, जिसके आधार पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा उ०प्र० शासन से कराये गये कार्य के भुगतान हेतु पत्र प्रेषित किया जिसके आधार पर उ०प्र० शासन द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में दिनांक 09.11.2022 को पुनः धनराशि अवमुक्त की गयी जिसे जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांक 09.11.2022 से अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग गाजियाबाद को स्थानान्तरित कर दिया गया था तथा विभाग के खाते में पैसा दिनांक 11.01.2023 को प्राप्त हुआ था। उक्त अवमुक्त धनराशि को जो त्वरित आर्थिक विकास योजना के कार्यों हेतु व्यय की जानी थी, को अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा पत्र दिनांक 26.12.2022 से वरिष्ठ कोषाधिकारी गाजियाबाद को प्रेषित किया गया था। प्रथम सचूना रिपोर्ट के अनुसार घटना की दिनांक 19.01.2023 से लगभग 07 माह पूर्व ही उसके द्वारा मैसर्स श्री गणेश सीमेन्ट एजेन्सी फर्म द्वारा कराये गये कार्य की नाप तोल करके एम०बी० में दर्ज करते हुए बिल बनाकर उच्च अधिकारी को प्रेषित कर दिया था जिसके अनुसार उनकी फर्म का समस्त कटौतियों के उपरान्त लगभग 1,73,109/– रूपये भुगतान शेष था। जो शासन स्तर से धनराशि प्राप्त होने पर किया जाना था। जिसके भुगतान में उसका कोई रोल नहीं है। इस कारण एक लाख रूपये की रिश्वत मांगने की कहानी झूठी व बनावटी है। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में किसी भी कराये गये कार्य के भुगतान हेतु ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध की शर्त की क्लॉज 45 के अनुसार बिल सर्वप्रथम ठेकेदार द्वारा बनाकर सहायक अभियन्ता को प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात उसकी परीक्षणोपरान्त उचित पाये जाने की दशा में अवर अभियन्ता द्वारा नाप करके एम०बी० में दर्ज करते हुए बिल बनाकर अग्रसारित किया जायेगा। सहायक अभियन्ता द्वारा चैक करके भुगतान हेतु अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित किया जायेगा तथा सम्पूर्ण भुगतान के अधिकार अधिशासी अभियन्ता को होते हैं जिससे स्पष्ट है कि उसका किसी भी प्रकार के भुगतान से कोई सम्बन्ध नही है। आर०टी०आई० के माध्यम से प्राप्त सूचना दिनांक 06.04.2023 के अनुसार सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा कोई भी बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अपने आपको अपने भाई अनुज कुमार गुप्ता का मुख्तारेआम बताया है जबकि ऐसा कोई

मुख्तारनामा फर्म के अनुबन्ध के समय ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में दाखिल नही किया गया है जिससे शिकायत पत्र की समस्त कहानी स्वयं ही झूठी साबित हो जाती है। उक्त फर्म के प्रोपराईटर अनुज कुमार गुप्ता शेष भुगतान के सम्बन्ध में ना तो उससे कभी मिले ना ही कोई प्रार्थना पत्र या बिल दिया, समस्त कहानी झूठी बनाई गयी है। अनुज गुप्ता द्वारा अपनी फर्म के शेष भुगतान के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को घटना से अगले दिन दिनांक 20.01.2023 को दिया गया है। उसके विरूद्ध शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये शिकायती पत्र की कोई प्री ट्रैप जांच निरीक्षक अंजू भदौरिया द्वारा नहीं की गयी। मात्र अपनी रटी रटाई आख्या कार्यालय में बैठकर अंकित कर दी गयी। चूंकि वह एक राजपत्रित अधिकारी है, भ्रष्टाचार निवारण संगठन की अधिकृत वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ के बिन्दु–03 के अनुसार यह संगठन मात्र अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु अधिकृत है। इस कारण समस्त ट्रैप की कार्यवाही ही अवैध हो जाती है। जिस कारण भ्रष्टाचार निवारण संगठन को राजपत्रित अधिकारी को ट्रैप करने का भी नियमानुसार कोई अधिकार नही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार फर्द प्रदर्शन की कार्यवाही असवाहे राह मुख्य सडक पर करना बताया गया है परन्तु जनता का कोई साक्षी इस कार्यवाही हेतु नही लिया गया है जिससे फर्द प्रदर्शन की कार्यवाही संदिग्ध हो जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त को सार्वजनिक स्थान चाय की कैण्टीन से पकडना बताया है जबकि उक्त घटना के लिये भी जनता या कैण्टीन संचालक को गवाह नहीं बनाया है जिससे स्पष्ट है कि वहां ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। ट्रैप टीम द्वारा किसी भी घटना की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार मौके पर किया जाना आवश्यक व विधि अनुरूप है परन्तु उक्त घटना की कोई भी कार्यवाही मौके पर नही की गयी है। इस कारण फर्द बरामदगी की सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्ध है। उसके ना तो शिकायतकर्ता से कभी एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की गयी, ना प्राप्त किये, ना ही उससे रिश्वती रूपये बरामद हुए। दिनांक 19.01.2023 की सुबह वह अपने घर से गाजियाबाद में चल रही अपनी साईटों के पर्यवेक्षण/मापांकन के लिये निकला था। उसकी अपने एक सेवानिवृत्त साथी से दोपहर में फोन पर वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि वह उससे मिलने आया था, ऑफिस में नहीं मिले, वह कैन्टीन में बैठा है। वह साईटों के पर्यवेक्षण/मापांकन सम्बन्धी कार्यों को पूरा कर विकास भवन आया। जो सुबह का निकला हुआ था, अपने सेवानिवृत्त साथी से मिलने व सूक्ष्म जलपान के मकसद से कैन्टीन के बाहर पहुंचते ही वहां चार पांच लोग आये और उसको जबरन पकड कर गाडी में बिठाया व कविनगर थाना चलने के लिये चालक को निर्देशित किया और झूठा

मुकदमा कायम करा दिया। उसका एक पैर से दिव्यांग होने के कारण स्वयं को उनकी पकड से छुडाने अथवा भागने की स्थिति में नहीं था। इसलिए उसके विरूद्ध सम्पूर्ण आरोप पत्र में धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के आरोप को साबित करने हेतु कोई साक्ष्य मौजूद नही है जिस कारण उसको उक्त आरोपो से उन्मोचित किया जाय।

3. विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त के द्वारा उन्मोचन के संबंध में जो आधार लिये गये है वे साक्ष्यो की साक्ष्य की मूल्यांकन से संबंधित है। जिसके संबंध में विचार साक्ष्य अंकित होने के उपरांत ही किया जा सकता है। अभियुक्त को रिश्वती नोट लेते समय मौके से गिरफतार किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। इसलिए उसके विरूद्ध आरोप विरचित किये जाय।

4. अभियुक्त के द्वारा अपने उन्मोचन प्रार्थना पत्र में लिये गये आधारों पर विचार किये जाने से पूर्व अभियोजन मामले का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। जिसके अनुसार शिकायतकर्ता राहुल कुमार गुप्ता प आनन्द प्रकाश गुप्ता निवासी 11ए, लक्ष्मी विहार, बंधन पैलेस वाली गली, मोदीपुरम मेरठ ने पुलिस उपाधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण सगठन मेरठ को सम्बोधित करते हुये एक प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया था की उसके भाई अनुज कुमार गुप्ता पुत्र आनन्द प्रकाश गुप्ता निवासी उपरोक्त की कसट्रक्शन फर्म मैसर्स श्री गणेश सीमेन्ट एजेन्सी 11ए लक्ष्मी बिहार मोदीपुरम मेरठ के नाम से है उपरोक्त फर्म की देखरख हेतु उसके भाई ने उसको मुख्तारेनाम नियुक्त कर रखा है उपरोक्त फर्म से सम्बन्धित समस्त कार्यों की देख रेख वह ही करता है। उपरोक्त फर्म के नाम शाहपुर बम्हैटा श्रीराम इन्कानेव में मुकेशचन्द से जयप्रकाश के मकान तक व सुरेश व रवि के मकान तक इन्टरलांकिग टाइल्स कार्य व नाली निर्माण हेतु अनुबंध ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रचण्ड गाजियाबाद द्वारा अनुबन्ध संख्या 179/EE/RED/BOND/2021-22 DATED 07/01/2022 को किया गया था। जिसमें कार्य प्रारम्भ करने की तिथि दिनांक 07/01/2022 व कार्य समाप्ति की तिथि 06/04/2022 थी जो कि उसकी उपरोक्त फर्म द्वारा समय से पूर्ण कर दिया गया था। उपरोक कार्य भुगतान हेतु अप्रैल 2022 में अवर अभियन्ता श्री सुभाषचन्द शर्मा से सम्पर्क किया गया। ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा लगभग 16,59,000/– का भुगतान किया जाना था जिसमे से दिनाक 31/05/22 को 14,00,000 /– (चौदह लाख रुपये) का भुगतान कर दिया गया था शेष धनराशि व अन्तिम बिल के भुगतान के लिये वह कई बार ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रचण्ड गाजियाबाद के विकास भवन स्थित कार्यालय जाकर अवर अभियन्ता सुभाष चन्द शर्मा से मिला और उनसे शेष धनराशि व

अन्तिम भुगतान (बिल) बनाने का अनुरोध किया गया। अवर अभियन्ता श्री सुभाष चन्द शर्मा द्वारा कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया गया। दिनांक 11/01/2023 को वह विकास भवन जाकर अवर अभियन्ता सुभाष चन्द शर्मा से जाकर मिला और उक्त कार्य के शेष धनराशि व अन्तिम भुगतान कराने का अनुरोध किया तो अवर अभियन्ता सुभाष चन्द शर्मा ने कहा कि वह इतने दिनो से भुगतान के लिये चक्कर काट रहे हो लेकिन बात को समझ नहीं पा रहे हो उनके भी सौ खर्च है, यदि वह अपनी धनराशि का भुगतान तथा चाहते हो कि वह उसके कार्यों का अन्तिम बिल बनाकर भुगतान हेतु प्रखण्डीय कार्यालय में दे तथा बाकी भुगतान के लिए उसको 1,00,000/– (एक लाख रुपये) रिश्वत में देने होगे। अभी वह कुछ दिन व्यस्त है। रिश्वत के 1,00,000 (एक लाख रुपये) लेकर दिनांक 19/01/2023 को उसके कार्यालय/प्रखण्डीय कार्यालय आ जाना। उसका काम जायज है और वह अपने जायज काम कराने की रिश्वत देना नहीं चाहता ऐसे भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकड़वाना चाहता है। इसलिये अपने प्रार्थना पत्र के साथ अपने आधार कार्ड, अनुबन्ध की प्रति, मुख्तारनामे की प्रति व विभाग को भुगतान हेतु किये गये ई–मेल के प्रार्थना पत्र के संलग्न किया गया। शिकायती प्रार्थना पत्र पुलिस उपाधीक्षक भ्र०नि०स० मेरठ के द्वारा निरीक्षक श्रीमती अंजू भदौरिया को प्री ट्रैप जांच करने के लिए कहा गया। जांच निरीक्षक श्रीमती अंजू भदौरिया द्वारा विकास भवन गाजियाबाद स्थित ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के कार्यालय के आस पास शिकायकर्ता के शिकायती प्रार्थना पत्र की जाचं करायी गयी, जांच में आरोपो के पुष्टि होने पर प्रकरण ट्रैप का होना पाया गया। पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक नि0 संगठन उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार शर्मा के नेतृत्व में ट्रैप टीम का गठन किया गया। टीम के सदस्यो तथा शिकायतकर्ता को दिनांक 19.01.2023 को कार्यालय उपस्थित होने का निर्देश दिये गये। दिनांक 19.01.2023 को जिलाधिकारी गाजियाबा के द्वारा सतेन्द्र कुमार सी. आर.ए. कलैक्ट्रट गाजियाबाद तथा संदीप कुमार बिल क्लर्क को गवाहान के रूप मे नामित किया गया। उक्त साक्षीगण को भी साथ लेकर टीम के द्वारा उल्लेखित स्थान पर सभी का एक दूसरे से परिचय कराकर, शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र पढ़कर सुनाया गया तथा शिकायतकर्ता के द्वारा दिये गये एक लाख रूपये के नोटो के नंबर नोट करके उन पर हमराह आरक्षी से फिनोफथलीन पाउड़र लगा कर ट्रीट कराया गया। उपचारित नोटो को शिकायतकर्ता को इस आशय से दिये गये कि अभियुक्त के द्वारा उत्कोच के रूप में मांगने पर वह यही धनराशि उसको देगा। इस कार्यवाही के संबंध में फर्द प्रदर्शन तैयार की गयी, आरक्षी व शिकायतकर्ता के हाथो को सोड़ियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाकर तैयार गुलाबी

रंग के धोवन को अलग–अलग शीशी में सील सर्वे मोहर किया गया। शिकायकर्ता के द्वारा अभियुक्त पर मोबाइल से हुई बात के अनुसार निर्धारित स्थान विकास भवन के प्रांगण में बनी जलपान कैंटीन में जाकर अभियुक्त के आकर शिकायकर्ता से उत्कोच की धनराशि की मांग करने पर शिकायकर्ता के द्वारा उसको उपचारित नोट एक लाख रूपये दे दिये गये। उसी समय उत्कोच के लेन देन का पुष्टि होने पर टीम के द्वारा अभियुक्त को मौके पर उक्त दो–दो हजार के पचास नोटो के साथ पकड़ा गया। बरामद नोटो के नंबरो का मिलान फर्द ट्रीट में उल्लेखित नोटो के नंबरो से कराया गया। मौके पर भीड़ के इकटठा होने पर अभियुक्त को साथ लाकर थाना कवि नगर के थानाध्यक्ष के कक्ष में हाथ धुलवाने, फर्द तैयार करने, गुलाबी रंग के धोवन को सील सर्वे मोहर करने, नोटो को भी सील करने की कार्यवाही की गयी। अभियुक्त की गिरफतारी की गयी तथा फर्द के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। शिकायतकर्ता से संबंधित निरीक्षण आख्या को भी कब्जे में लिया गया तथा उसकी फर्द तैयार की गयी। विवेचना के दौरान साक्षीगण के द्वारा अपने धारा 161 द0प्र0स0 के बयान में उक्त कार्यवाही के समर्थन में तथ्यो का उल्लेख किया गया है। उक्त कार्यवाही के समय तैयार किये गये धोवन तथा बरामद नोटो के परीक्षण की विधि विज्ञान प्रयोशाला की रिपोर्ट पत्रावली पर आ चुकी है। जिसमें सोड़ियम कार्बोनेट तथा फिनाफथलीन के अंश पाये जाने की पुष्टि हुई है। अभियुक्त तथा शिकायतकर्ता के मध्य हुई बातचीत के संबंध में उनके मोबाइल की सी0ड़ी0आर0 भी प्राप्त की गयी है। उक्त कार्यवाही की पुष्टि में पर्याप्त साक्ष्य होने पर अभियोजन स्वीकृति के उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अभियुक्त की ओर से अपने उन्मोचन प्रार्थना पत्र में मुख्य आधार यह लिया गया है कि जिस फर्म के द्वारा किये गये कार्य का भुगतान पेंड़िग होना बताया है, से शिकायतकर्ता का कोई संबंध नही था, उसके पास फर्म के पार्टनर का कोई मुख्तारनामा नही था, फर्म के द्वारा शेष भुगतान के संबंध में कोई बिल उक्त शिकायत करने तक प्रस्तुत ही नही किया गया और ना शिकायतकर्ता या फर्म का प्रतिनिधि उससे मिला, स्वयं राजपत्रित अधिकारी होने के आधार पर उक्त कार्यवाही के विधि सम्मत ना होने के संबंध में आपित्त की गयी है। अभियुक्त की ओर से उठायी गयी उक्त आपित्तयो के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता के फर्म मैसर्स गणेश सीमेन्द्र एजेन्सी के मालिक अनुज कुमार गुप्ता का भाई होने तथा फर्म के कार्य की देखभाल करने का उल्लेख शिकायती प्रार्थना पत्र में ही किया गया है तथा उसके साथ मुख्तानामा भी संलग्न करने का उल्लेख किया गया है। फर्म के द्वारा किये गये कार्य के शेष भुगतान शेष होने का तथ्य भी र्निविवादित है, अभियुक्त के द्वारा तैयार की गयी

निरीक्षण रिपोर्ट को भी ट्रेप के समय बरामद किया गया है। इसलिए शिकायतकर्ता के फर्म की ओर से अधिकृत ना होने तथा बिल ना प्रस्तुत करने के संबंध में की गयी आपित्त आधारहीन है। अभियुक्त राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में आता है या नही तथा उसके संबंध में क्या आवश्यकता ट्रेप करने के संबंध में है, का विनिश्चय साक्ष्य के उपरांत ही किया जा सकता है। इस प्रकार अभियुक्त की ओर से उन्मोचन के संबंध में जो आधार लिये गये है वह प्रतिरक्षा की साक्ष्य वस्तु तथा अभियोजन साक्ष्य के आलोचनात्मक विश्लेषण से संबंधित है जिनके संबधं में कोई निष्कर्ष साक्ष्य के उपरांत ही निकाला जा सकता है। आरोप के स्तर पर केस ड़ायरी में अंकित की गयी साक्ष्य ही विचारणीय है, प्रतिरक्षा के आधारो पर इस स्तर पर विचार किया जाना विधि सम्मत नही है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय **हजरत दीन बनाम उ0प्र0 राज्य ए0आई0आर0 2022 एस0सी0 94** में यह मत व्यक्त किया गया है कि, उन्मोचन प्रार्थनापत्र पर विचार किये जाते समय केस डायरी तथा अंकित साक्षियों के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर विचार नहीं कर सकता है। **बिहारी लाल बनाम राजस्थान राज्य ए0आई0आर0 2019 एस0सी0 180** में भी इसी प्रकार का मत व्यक्त किया गया है। **राज्य बनाम दुरई स्वामी ए0आई0आर0 2019 एस0सी0 480** में यह मत व्यक्त किया गया है कि, आरोप पत्र दाखिल होने के पश्चात उन्मोचन प्रार्थनापत्र पर विचार करते समय न्यायालय अपीलीय न्यायालय की तरह साक्षियों की साक्ष्य की विश्वसनीयता के परीक्षण को आधार नहीं बना सकता। **गुलाम हसन बेग बनाम मौहम्मद मकबूल मगरे ए0आई0आर0 2022 एस0सी0 631** में भी यह मत व्यक्त किया गया है कि उन्मोचन प्रार्थनापत्र पर विचार करते समय न्यायालय संक्षिप्त विचारण की तरह प्रक्रिया नहीं अपना सकती। प्रस्तुत मामले में भी अभियुक्त की ओर से अपने उन्मोचन प्रार्थनापत्र में जो उपरोक्त आधार लिये गये है, वे मुख्य रूप से साक्ष्य की विश्वसीनयता की विषय वस्तु है, जिनके आधारों पर अभियुक्त को उन्मोचित किये जाने का आधार नही बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय **उड़ीसा राज्य बनाम देवेन्द्रनाथ पाधी (2003)2 एस.सी.सी. 711** में यह मत व्यक्त किया गया है कि आरोप के स्तर प्रतिरक्षा की साक्ष्य तथा तथ्यो पर विचार नही किया जा सकता है। केस ड़ायरी में उपलब्ध साक्ष्य को सत्य मानकर निष्कर्ष लिया जाना है। इस प्रकार विवेचना के दौरान केस ड़ायरी में अंकित की गयी साक्ष्य से अभियुक्त के द्वारा उत्कोच की मांग करने तथा उत्कोच के रूपये दिये गये रूपयो की बरामदगी की पुष्टि होने होने के कारण उसके विरूद्ध आरोप बनाये जाने के लिए पर्याप्त आधार है। इसलिए यह नही कहा सकता कि अभियुक्त के विरूद्ध निराधार आरोप लगाये

गये या मिथ्या रूप से उसका अभियोजन किया गया है। जबकि अभियुक्त को उसी स्थिति में उन्मोचित किया जा सकता है कि जब अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप निराधार हो। इसलिए अभियुक्त को उन्मोचित किये जाने का आधार पर्याप्त ना होने के कारण यह प्रार्थना पत्र 50ख निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त सुभाष चन्द्र शर्मा की ओर से उसको उन्मोचित किये जाने के आशय से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र 50ख निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते बनाये जाने आरोप दिनांक 08.04.2025 को पेश हो। अभियुक्त आरोप बनाये जाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो।

दिनांक 21.03.2025

(प्रहलाद सिंह–II)
विशेष सत्र न्यायाधीश, भ्रा0निवारण,
(V.B.U.P.S.E.B.) मेरठ।